निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श0)

(सं0 पटना 443) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 अगस्त 2020

सं० वि०स०वि०–30 / 2020–1027 / वि०स० ।—''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०–12/2020]

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत–गणराज्य के एकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**– (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–3 का संशोधन।**–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''परन्तु यह और कि सभी दशाओं में दीर्घकालिक व अल्पकालिक काश्तकार कर्मियों (कृषि कर्मियों) की कुल जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल कर्मियों की जनसंख्या का पचास प्रतिशत से कम होगी।''

3. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–50 का संशोधन।**–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में संख्या ''2/5'' को संख्या ''1/3'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–67 का संशोधन।**–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 67 के प्रथम परन्तुक के बाद निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक जोड़ा जायेगा :–

''परन्तु यह और कि राज्य सरकार के लिए व्यापक जनहित में ऐसा निदेश जैसा कि वह यथोचित समझे, जारी करना विधि संगत होगा, एवं नगरपालिका प्राधिकारी के लिए ऐसे निदेश का पालन करना अपेक्षित होगा।''

5. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–145 का संशोधन।**–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 145 की उपधारा (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(1) कोई भी व्यक्ति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नगरपालिका के क्षेत्र के अन्तर्गत किसी स्थान में या किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान से दिखाई पड़ने वाला कोई विज्ञापन लोकदृष्टि में चाहे वह किसी रीति से हो (इसमें सिनेमा के माध्यम से प्रदर्शित कोई विज्ञापन भी शामिल है) प्रदर्शित नहीं करेगा तथा न ही कोई विज्ञापन किसी जमीन, भवन, दिवाल, टट्टी, फ्रेम, छतरी, ढाँचा, गाड़ी, निऑन अथवा आकाशीय चिन्ह के उपर लगायेगा, न प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा और न रखेगा।

परन्तु यह कि लोक सभा निर्वाचन एवं विधान सभा निर्वाचन के क्रम में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए प्रकाशित विज्ञापन के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि लोक सभा निर्वाचन एवं विधान सभा निर्वाचन के क्रम में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान की परिधि में ही विज्ञापन प्रदर्शित किया जायेगा।

6. **निरसन और व्यावृत्ति ।–**

(1) बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या 02, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में शहरीकरण को समन्वित रूप से बढ़ाने, छोटे–छोटे शहरों के नियोजित विकास एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों की सुविधाओं को विकसित करने तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के वर्तमान प्रावधान में कतिपय कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है

(सुरेश कुमार शर्मा)
भार–साधक सदस्य ।

भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–03.08.2020

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 443-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in